आठवां विश्व हिन्दी सम्मेलन

प्रसन्नता का विषय है कि 13-15 जुलाई, सन् 2007 को त्रिदिवसीय विश्व हिन्दी सम्मेलन न्यूयार्क मे आयोजित किया जा रहा है। न्यू यार्क अमेरिका की वित्तीय राजधानी है, यहां राष्ट्र संघ का मुख्यालय भी है। पिछले सात हिन्दी सम्मेलनों में से पांच का आयोजन विदेशों में किया गया था। सभी सम्मेलनों की मांग थी कि हिन्दी को राष्ट्र संघ की भाषा बनाने के लिए आवेदन किया जाय। न्यू यार्क सम्मेलन हिन्दी को राष्ट्र संघ की भाषा बनाने में सहायक हो सकता है। भारत के विदेश राज्य मंत्री, माननीय श्री आनन्द शर्मा सम्मेलन की स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं। *आशा है कि वे सम्मेलन के प्रस्तावों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करके उनके कार्यान्वन के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने में सफल होंगे।*

यह एक सुखद संयोग है कि सम्मेलन के आयोजन का दायित्व, अमेरिका की एक वरिष्ठ संस्था, भारतीय विद्या भवन, न्यू यार्क को प्रदान किया गया है। भारतीय विद्या भवन के संस्थापक तथा कुलपति, डा. कन्हैयालाल मानेकलाल मुन्शी (1887-1971) एक श्रेष्ठ विधिवेत्ता, साहित्यकार तथा स्वतंत्रता सेनानी थे। गान्धी जी के नेतृत्व में, सरदार पटेल के साथ उन्होंने बारदोली सत्याग्रह में भाग लिया था। गुजरात में जन्मे डा. मुन्शी, अपने पूर्ववर्ती गुजरातियों, स्वामी दयानन्द सरस्वती तथा महात्मा गान्धी की परंपरा में, हिन्दी के प्रबल समर्थक बने। उनकी मान्यता थी कि हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के विकास में संस्कृत की महत्वपूर्ण भूमिका है, संस्कृत-मूल की शब्दावली हिन्दी को अन्य भारतीय भाषाओं से जोड़ती है। वे अंग्रेज़ी को सम्मान की दृष्टि से देखते थे, अंग्रेज़ी की उपयोगिता को समझते थे, परन्तु उसे देशी भाषाओं का विकल्प नहीं मानते थे।

हिन्दी को भारत की राजभाषा बनाने में डा मुन्शी की अहम भूमिका रही है। सन् 1947 में, उनकी पहल से, कांग्रेस पार्टी ने हिन्दी को देवनागरी लिपि के साथ भारत की राजभाषा बनाने का प्रस्ताव पारित किया। दो वर्ष पश्चात, उन्होंने, श्री श्यामा प्रसाद मुकर्जी (बंगाल), तथा श्री गोपालस्वामी अय्यंगर (मद्रास) से मिलकर, हिन्दी को राजभाषा बनाने का प्रारूप तैयार किया, तथा संविधान सभा में प्रस्तुत किया। हिन्दीतर क्षेत्रों को आश्वासन देने के लिए, कुछ संशोधनों के पश्चात, 14 सितम्बर 1949 को, संविधान सभा द्वारा हिन्दी को भारत की राजभाषा बनाए जाने का प्रस्ताव पारित हुआ, इस अनुबंध के साथ कि, आगामी 15 वर्ष तक अंग्रेज़ी राजभाषा रहेगी तथा सन् 1965 में, हिन्दी, अंग्रेज़ी का स्थान ले लेगी। तब से प्रति वर्ष 14 सितम्बर को हिन्दी दिवस के रूप में मनाया जाता है।

डा. मुन्शी भारत की केन्द्रीय सरकार में कृषि मंत्री तथा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे थे। उनकी प्रेरणा से आगरा में केन्द्रीय हिन्दी संस्थान की स्थापना हुई थी। हिन्दी क्षेत्र के व्यक्तियों को उनकी सलाह थी कि हिन्दी को समृद्ध बनाने के लिए वे संस्कृत तथा अन्य भारतीय भाषाएं सीखें। इस से, हिन्दी के प्रति सद्भाव बढ़ेगा तथा भारतीय भाषायें एक दूसरे के और निकट आयेंगी। उन्होंने चेतावनी दी थी कि प्रारम्भ में संस्कृत-मूल शब्द अटपटे लगेंगे, परन्तु प्रयोग द्वारा वे परिचित, लोकप्रिय तथा सरल बन जायेंगे।

सन् 1956 में भाषीय आधार पर राज्यों का पुनर्गठन तथा भाषाई राजनीति का प्रारम्भ हुआ, दक्षिण भारत में हिन्दी का विरोध बढ़ा, सन् 1965 में हिन्दी राजभाषा नहीं बनी, तथा राजभाषा के प्रश्न को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया। हिन्दीप्रेमियों को घोर निराशा हुई। इन परिस्थितियों में, हिन्दी को राष्ट्र संघ की एक अधिकृत भाषा बनाए जाने के विचार से, विश्व हिन्दी सम्मेलनों की परंपरा का जन्म हुआ, पहला सम्मेलन सन् 1975 में नागपुर में, तथा सातवां, सन् 2003 में सूरीनाम में आयोजित किया गया।

सूरीनाम सम्मेलन में, तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री, श्री दिग्विजय सिंह ने हिन्दी को अन्तरराष्ट्रीय फलक पर प्रतिष्ठापित करने के लिए दो कार्यों की घोषणा की, पहली, हिन्दी को राष्ट्र संघ की भाषा बनाना, दूसरी, विदेशी विश्वविद्यालयों में हिन्दीपीठों की स्थापना कराना। *सम्मेलनों के इतिहास में पहली बार कहा गया था, कि इन योजनाओं के लिए भारत सरकार 100 करोड़ रुपये ख़र्च करने के लिए तैयार है।* अगले चुनाव में उनकी पार्टी हार गई, कांग्रेस की गठबंधन सरकार सत्ता में आई, उन्होंने किसान तथा मज़दूरों की आर्थिक स्थिति सुधारने का वचन दिया था।

आज भारत को, भारी संख्या में, आधुनिकतम प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान में प्रशिक्षित, तथा प्रवीण, विशाल जनशक्ति (manpower) की आवश्यकता है। इसके बिना भारत एक पिछलग्गू देश बना रहेगा। भारत के 90 प्रतिशत से अधिक लोग अंग्रेज़ी नहीं जानते, वे आधुनिक ज्ञान-विज्ञान से वंचित रहे हैं। हिन्दी ही उन तक आधुनिक ज्ञान पहुंचा सकती हैं। हिन्दी को एक सम्पूर्ण आधुनिक भाषा बनाना, भारत की राजभाषा बनाना, उसे राष्ट्र संघ की भाषा बनाना भारतवासियों, तथा भारतवंशियों के हित में है। हमारे पास हिन्दी को एक सम्पूर्ण भाषा बनाने के सिवा और कोई विकल्प नहीं है। हिन्दी का विकास भारतीय भाषाओं के विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा। *सम्मेलनों का इतिहास बताता है, कि उनमें पारित प्रस्तावों पर अमल नहीं होता, चार वर्ष बाद उन्हें दोहराया जाता है, इस स्थिति में बदलाव की आवश्यकता है।*